न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गढी, जिला बांसवाडा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री पूजा कुमारी पार्थ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 14 / 2017

उनवान

श्रीसरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी।

—: प्रार्थी

बनाम

कालिया पिता कचरा भील निवासी सुन्दनी तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 1955 राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 84, 86

आदेश

दिनांकः 5/6/2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्रीसरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी गढ़ी ने पटवार हल्का सुन्दनी के मौजा सुन्दनी की खाता संख्या 174 के सर्वे नम्बर 2607 रक 0.07 हे0 किस्म—ता.2 जो कि नाथु पिता चमना नाई के नाम खातेदारी में दर्ज रेकार्ड भूमि स्थित आम के एक पेड़ को अप्रार्थी ने बिना अनुमति के कांट दिया हैं। इस प्रकार अप्रार्थी द्वा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 84, 86 का उलंघन किया गया है। उक्त क गये आम के पेड़ की लकड़ी श्री दिनेश पिता शंकर भील निवासी सुन्दनी को सुपुर्दगी में दी ग है। अप्रार्थी द्वारा बिना स्वीकृति के आम का पेड़ कांटे जाने के क्रम में पटवारी हल्का द्वारा तैय किया गया मौका पर्चा / सुपुर्दगीनामा एंव राजस्व दस्तावेज की नकल आदि प्रार्थना—पत्र के संल प्रस्तुत करतें हुऐ प्रार्थी को इमदाद दिलाने निवेदन किया।

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर क अप्रार्थी के नाम सम्मन जारी किये जाने के उपरान्त भी अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित न हुआ।

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र, पटवारी हल्का द्व तैयार किया गया मौका पर्चा / राजस्व अभिलेख की नकल / लकड़ी सुपुर्दगीनामा का अवलोक किया जाने पर पाया गया कि अप्रार्थी श्री कालिया पिता कचरा भील निवासी सुन्दनी द्वारा न पिता चमना नाई की खातेदारी भूमि में स्थित एक आम के पेड़ को काटं कर राजस्थान काश्तक अधिनियम 1955 की धारा 84, 86 का उल्लघंन किया गया है। इस क्रम में न्यायालय के पत्रां 872 दिनांक 24.5.17 एंव स्मरण पत्र क्रमांकः 1722 दिनांक 01.11.17 द्वारा मौका पर्चा में वर्ण राशि वसूल किये जाकर राज कोष में जमा कराने निर्देशित किया जाने के उपरान्त भी पाल रिपोर्ट प्रस्तुत नही हुई है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को नाथु पिता चमना न की खातेदारी भूमि में स्थित एक आम के पेड़ को कांटने एंव बिना अनुमति के हटाने फलस्वरूप 100 / — रूपयें के दण्ड से दण्डित किया जाता हैं। तथा प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधा गढ़ी को आदेशित किया जाता हैं कि जुर्माना राशि की तहसील राजस्व लेखाकार से मांग कार कराते हुऐ मौका पर्चा में वर्णित अनुसार रू0 20,000 / — (अक्षरे रूपये बीस हजार) में सम्बन्